क्रम-संख्या—583

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985

भाद्रपद 1, 1907 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1507/सत्रह-वि-1-1(क)—20-1985

लखनऊ, 23 अगस्त, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पर दिनांक 21 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985 कहा जायगा। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(2) यह 22 अक्तूबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा संशोधनों सहित पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(छछ) 'विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा' का तात्पर्य धारा 5--क के अधीन सृजित केन्द्रीयित सेवा से है," ।

धारा 4 का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ग) राज्य सरकार का सचिव जो उस विभाग का भार साधक हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य निष्पादित होता हो, पदेन,"

नयी धारा 5-क का बढ़ाया जाना

4---मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :--

केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन

"5-क--(1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी भी समय; अधिसूचना द्वारा, धारा 59 की उपधारा (4) में उल्लिखित पदों से भिन्न ऐसे पदों के लिये जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या अधिक "विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवायें" सृजित कर सकती है जो समस्त प्राधिकरणों के लिये सामान्य हो और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित कर सकती है ।

(2) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर, ऐसे सृजन के ठीक पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत कोई व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा नियंत्रित व्यक्ति से या प्रति नियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति से भिन्न हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न करे, ऐसी सेवा में--

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो, और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या अस्थानापन्न रूप में पद धारण किये हो,

आमेलित किया जायगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार के आवास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अन्तिम या अनन्तिम रूप से आमेलन के लिये विकल्प किया है ।

(4) किसी व्यक्ति की, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से की जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अन्तिम रूप से आमेलित कर लिया जायेगा ।

(5) ऐसे कर्मचारी की, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे अन्तिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्त न पाया जाय, सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेन्शन, भविष्य निधि या आनुतोषिक के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा--

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था;

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द "वेतन" के अन्तर्गत महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन भी, यदि कोई हो, है ।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा ।"

धारा 18 का संशोधन

5---मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(4) जहां रिक्त भूमि का इस धारा के अधीन व्ययन अनुबद्ध समय के भीतर निर्माण करने के लिये पट्टे द्वारा, जिसमें ऐसे समय के भीतर निर्माण न करने पर पट्टे का समपहरण करने और पुन: प्रवेश करने का अधिकार भी है, किया गया है और पट्टेदार बिना पर्याप्त कारणों के निर्माण या उसका सारवान भाग अनुबद्ध समय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जो पट्टाकर्ता द्वारा दिया जाय, निर्मित करने में असफल रहता है, वहां पट्टाकर्ता पट्टे का समपहरण कर सकता है, और भूमि पर पुन: प्रवेश कर सकता है :

परन्तु कोई समपहरण या पुन: प्रवेश नहीं किया जायगा जब तक कि पट्टेदार का प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो ।

(5) ऐसे समपहरण और पुन: प्रवेश पर पट्टेदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये दिया गया प्रीमियम बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित कटौतियां करने के उपरान्त लौटा दिया जायगा :--

(क) उस पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता को देय धनराशि, यदि कोई हो, और

(ख) प्रशासनिक व्यय के लिये प्रीमियम के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि ।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी जानकारी के दिनांक से 30 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(7) ऐसी भूमि का जिस पर पट्टा के समपहरण के पश्चात् पुन: प्रवेश किया जाय, व्ययन उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है ।"

धारा 40 का प्रतिस्थापन

6---मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

प्राधिकरण को देय धनराशि की वसूली

"40---किसी धनराशि को, जो प्राधिकरण को किसी फीस, या प्रभार के मद्धे या भूमि, भवन या किसी भी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, व्ययन से किराया, प्रीमियम, लाभ या अवक्रय किस्त के रूप में देय हो, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित वसूली की किसी अन्य रीति द्वारा वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित रूप में वसूल किया जायगा--

(क) या तो प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर को भेजे गये देय धनराशि के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में, या

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 में उपबन्धित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबन्ध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी नगर महापालिका को देय कर की वसूली पर लागू होते हैं, किन्तु इस प्रकार उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं में "मुख्य नगराधिकारी", "महापालिका" और "कार्यकारिणी समिति" के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमश: "उपाध्यक्ष", "विकास प्राधिकरण" और "अध्यक्ष" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा :

परन्तु वसूली की दो या अधिक रीति को एक साथ प्रारम्भ नहीं किया जायगा या जारी नहीं रखा जायगा ।"

वैधीकरण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1983
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1983

7---उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों उक्त अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी0 एल0 लूम्बा,
सचिव।

No. 1507(2)/XVII-V—1-1(KA)-20-1985

Dated Lucknow, August 23, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Uojna Aur Vikas (Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 21, 1985.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1985

(U. P. ACT NO. 21 OF 1985)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 and to validate certain acts.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment and Validation) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 22, 1984.

Amendment of section 2 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted with amendments by U. P. Act no. 30 of 1974.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*g*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*gg*) 'Development Authorities Centralised Service' means a Centralised service created under section 5-A."

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*c*) the Secretary to the State Government Incharge of the Department in which, for the time being, the business relating to the Development Authorities is transacted, *ex officio*."

Insertion of new section 5-A.

4. *After* section 5 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Creation of Centralised Services.

"5-A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 5 or in any other law for the time being in force, the State Government may at any time, by notification, create one or more 'Development Authorities Centralised Services' for such posts, other than the posts mentioned in sub-section (4) of section 59, as the State Government may deem fit, common to all the Development Authorities, and may prescribe the manner and conditions of recruitment to, and the terms and conditions of service of persons appointed to such service.

(2) Upon creation of a Development Authorities Centralised Service, a person serving on the posts included in such service immediately before such creation, not being a person governed by the U. P. Palika (Centralized) Services Rules, 1966, or serving on deputation, shall, unless he opts otherwise, be absorbed in such service,—

(*a*) finally, if he was already confirmed in his post, and

(*b*) provisionally, if he was holding temporary or officiating appointment.

(3) A person referred to in sub-section (2) may, within three months from the creation of such Development Authorities Centralised Service communicate to the Government in the Housing Department, his option not to be absorbed in such Centralised Service, failing which he shall be deemed to have opted for final or provisional, as the case may be, absorption in such Centralised Service.

(4) Suitability of a person absorbed provisionally, for final absorption in a Development Authorities Centralised Service, shall be examined in the manner prescribed and if found suitable he shall be absorbed finally.

(5) The services of an employee who opts against absorption or who is not found suitable for final absorption, shall stand determined and he shall, without prejudice to his claim to any leave, pension, provident fund or gratuity which he would have been entitled to, be entitled to receive as compensation from the Development Authority concerned, an amount equal to—

(*a*) three months' salary, if he was a permanent employee;

(*b*) one month's salary, if he was a temporary employee.

Explanation—For the purposes of this sub-section the term 'salary' includes dearness allowance, personal pay and special pay, if any.

(6) It shall be lawful for the State Government or any officer authorised by it in this behalf, to transfer any person holding any post in a Development Authorities' Centralised Service from one Development Authority to another."

Amendment of section 18.

5. In section 18 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted*, namely,—

"(4) Where vacant land has been disposed of under this section by way of lease for making constructions within the stipulated time with right of forfeiture of the lease and re-entry upon failure to make constructions within such time, and the lessee fails without sufficient reason, to make the constructions or a substantial portion thereof, within the stipulated time or such extended time as the lessor may grant, the lessor may forfeit the lease and re-enter upon the land :

Provided that no forfeiture and re-entry shall be made unless the lessee has been allowed reasonable opportunity to show cause against the proposed action.

(5) Upon such forfeiture and re-entry, the premium paid by the lessee for such land shall be refunded without any interest, after deducting—

(*a*) the amount, if any, due to the lessor under that lease, and

(*b*) a sum equivalent to 5 per cent of the premium, for administrative expenses.

(6) Any person aggrieved by an order under sub-section (4) may, within 30 days from the date of knowledge thereof, prefer an appeal to the District Judge whose decision shall be final.

(7) The land so re-entered upon after forfeiture of lease may be disposed of in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (2)."

Substitution of section 40.

6. *For* section 40 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Recovery of moneys due to Authority.

"40. Any money due to an Authority on account of any fee, or charges, or from disposal of land, building or any other property, movable or immovable, by way of rent, premium, profit or hire-purchase instalment, may, without prejudice to the right of recovery by any other mode of recovery provided by or under this Act or any other law for the time being in force, be realised—

(*a*) either, as arrears of land revenue upon a certificate of the amount due sent by the Authority to the Collector, or

(*b*) by attachment and sale of property in the manner provided in sections 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 and 514 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959; and such provisions of the said Adhiniyam shall *mutatis mutandis* apply to recovery of dues of an Authority as they apply to recovery of a tax due to a Nagar Mahapalika, so however, that references in the aforesaid sections of the said Adhiniyam to 'Mukhya Nagar Adhikari', 'Mahapalika' and 'Executive Committee' shall be construed as references to 'Vice-Chairman', 'Development Authority' and 'Chairman' respectively :

U. P. Act no. 2 of 1959

Provided that no two or more modes of recovery shall be commenced or continued simultaneously."

Validation.

7. Anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) (Second) Ordinance, 1983 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1983 as if the provisions of the said Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance no. 21 of 1983
U. P. Act no. 28 of 1983

Repeal and Saving

8. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment and Validation) Ordinance, 1985 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 10 of 1985

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) which is in confirmity with the provisions of that Act as amended by this Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 124 सा० (विधा०)—(1678)—1985—850 (मैक०)